न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :– 03/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भोलाराम पुत्र आसूराम जाति कुम्हार निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी		1. नरसींगाराम पुत्र गुणेशाराम के कायम मुकाम 1/1–गोपाराम पुत्र नरसींगाराम 1/2–शंकरलाल पुत्र नरसींगाराम 1/3–नथूदेवी पत्नि नरसींगाराम जाातियान कुम्हार निवासी तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी 2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, एण्ड जयपुर शाखा भूंका वगतसिंह 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादी 1 के वकील एवं 3 के पैरोकार एकतरफा।

3. शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 22.05.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– तिलोणियों की ढाणी पटवारप क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 224 रकबा 9.7889 हैक्टेयर, खसरा संख्या 240 रकबा 6.0109 हैक्टेयर, खसरा संख्या 267 रकवा 11.9894 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 2.4513 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 26.08.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव पुनः तैयार कर भिजवाने हेतु दिनांक 31.01.2024 के जरिये अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध

सहायक कलक्टर

करवाया। जिसे वादीग एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– तिलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 224 रकबा 9.7889 हैक्टेयर, खसरा संख्या 240 रकबा 6.0109 हैक्टेयर, खसरा संख्या 267 रकबा 11.9894 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 2.4513 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	भोलाराम पुत्र आसूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार रहन– एसबीआई शाखा भूंका भगतसिंह	224	4.1744	बा.दो.		हरा
		240	1.8122	बा.दो.		
		267	7.1880	बा.दो.		
		419	1.9659	बा.दो.		
		योग	15.1405			
2	गोपाराम 818/1871 हि. शंकरलाल 818/1871 हि. पुत्र नरसींगाराम नथु देवी पत्नी नरसींगाराम 235/1871 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	223	0.0405	गै.मु.ढाणी		लाल
		224	5.6145	बा.दो.		
		240	4.1987	बा.दो.		
		267	4.8014	बा.दो.		
		419	0.4854	बा.दो.		
		योग	15.1405			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर वाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिव जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3

Scanned with OKEN Scanner

रखाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– सिलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 224 रकबा 9.7889 हैक्टेयर, खसरा संख्या 240 रकबा 6.0109 हैक्टेयर, खसरा संख्या 267 रकबा 11.9894 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 2.4513 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	वरंग
1	भोलाराम पुत्र आसूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार रहन– एसबीआई शाखा भूंका भगतसिंह	224	4.1744	बा.दो.		हरा
		240	1.8122	बा.दो.		
		267	7.1880	बा.दो.		
		419	1.9659	बा.दो.		
		योग	15.1405			
2	गोपाराम 818/1871 हि. शंकरलाल 818/1871 हि. पुत्र नरसींगाराम नथु देवी पत्नी नरसींगाराम 235/1871 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	223	0.0405	गै.मु.ढाणी		लाल
		224	5.6145	बा.दो.		
		240	4.1987	बा.दो.		
		267	4.8014	बा.दो.		
		419	0.4854	बा.दो.		
		योग	15.1405			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner